गुड गवर्नेंस के लिए समय पर न्याय देना भी जरूरी-राज्यपाल 6-8-2017

चंडीगढ, 6 अगस्त। गुड गवर्नेंस के लिए समय पर न्याय देना भी जरूरी है। यदि व्यक्ति को न्याय न मिले और डर सताए तो शासन सफल नहीं कहा जा सकता। इसलिए विशेष अधिकार और पद लेकर बैठे हर व्यक्ति का कत्र्तव्य है कि वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय पर न्याय की पहुंच बनाए। यह बात हरियाणा के राज्यपाल प्रो0 कप्तान सिंह सोलंकी ने 'मुकदमों की चुनौतियां व राज्य की भूमिका' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए कही। सम्मेलन का आयोजन एडवोकेट जनरल, हरियाणा द्वारा स्थानीय होटल ललित में किया गया था। इससे पहले राज्यपाल ने दीप जलाकर समापन सत्र का शुभारम्भ किया। उन्होंने हरियाणा का राज्यपाल हाने के नाते देशभर से इस सम्मेलन में आए अधिवक्ताओं का अभिनंदन किया और राष्ट्र स्तर के सम्मेलन के आयोजन के लिए एडवोकेट जनरल, हरियाणा की सराहना की। प्रो0 सोलंकी ने आगे कहा कि आज आम नागरिक थाने, अदालत और अस्पताल जाने से डरता है जबकि ये तीनों उसके लिए जरूरी हैं। इसलिए यह विचार करने की जरूरत है कि आम आदमी के इस डर को कैसे निकाला जाए। यह डर निकलेगा तो गुड गवर्नेंस होगी। इस समय देश की अदालतों में लम्बित मुकदमों की संख्या तीन करोड़ से अधिक हो जाने पर चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए कड़ी चुनौती है। इसका सामना करने के लिए जन-जागरण की जरूरत है जिसमें सब समस्याओं से निपटने की बड़ी ताकत होती है।

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी जन-जागरण की सदी है। इसमें व्यक्ति को धर्माधिष्ठित जीवन जीने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के भवन पर लिखे-'यतो धर्मः ततो विजय' श्लोक की याद दिलाते हुए कहा कि यहां धर्म का अर्थ कोई पंथ अथवा उपासना पद्धति नहीं है बल्कि ऐसी जीवन पद्धति है जो मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाती है। यदि इस श्लोक की इसकी मूल भावना को जन अपना लेगा तो मुकदमों की संख्या स्वतः कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अच्छा समाज वही होता है जो स्वयं अनुशासित हो और वहां कानून की जरूरत ही न पड़े। इससे पहले सम्मेलन में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस0एस0 सरों ने भी विचार रखे। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने सबका स्वागत किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद् के अध्यक्ष विनायक दीक्षित, कर्नाटक के वरिष्ठ अधिवक्ता एम0बी0 नारगुंड सहित देशभर के 24 राज्यों से आए अनेक अधिवक्ता उपस्थित थे।

NATIONAL CONFERENCE - 2017
of
Solicitors General, Advocates General &
Assistant Solicitors General

NATIONAL CONFERENCE - 2017
of
Solicitors General, Advocates General &
Assistant Solicitors General